अवकाश आवेदन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना |

विभाग में अवकाश आवेदनों को ऑनलाइन किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है| इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

- 1. अवकाश का आवेदन यदि कार्यालय से बाहर होने पर किया जाना हो :
 - a. शासकीय सेवक अपने अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी को सूचना SMS अथवा दूरभाष पर देवें|
 - b. अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी की अनुपस्थिति में आवेदन, सम्बंधित अवर/उप सचिव को भेजे जाने हैं।
- 2. अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी अपने स्वयं के अवकाश की सूचना अपने सम्बंधित प्रथम श्रेणी उच्च अधिकारी - अवर/उप सचिव को देवें।
- 3. प्रथम श्रेणी उच्च अधिकारी अपने अवकाश की सूचना कार्य विभाजन आदेश के अनुसार उनके अवकाशकाल में सम्बंधित उत्तरदायी अधिकारी (लिंक ऑफिसर) को देवें |
- 4. अवकाश रद्द (Leave cancellation) के सम्बन्ध में :
 - a. एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद यदि किसी कारणवश अवकाश का उपभोग नहीं किया जाना है तो संबधित शासकीय सेवक को अवकाश रद्द / कम करवाने हेतु सचिव विधि से व्यक्तिगत संपर्क करना होगा।
 - ^{*}यदि शासकीय सेवक निर्धारित स्वीकृत अवकाश से पूर्व वापस कार्यालय में उपस्थित हो जाये
- 5. लघुकृत / अर्ध वेतन (Medical) अवकाश की सूचना हेतु:
 - a. आवेदन सम्बंधित अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी को अस्वस्थता की सूचना SMS अथवा दूरभाष पर देवें|
 - b. सम्बंधित अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी द्वारा अवकाश सूचना की पंजी portal पर की जायेगी| किन्तु सम्बंधित शासकीय सेवक स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ अपने अवकाश पर से लौटने के बाद कार्यालय में पोर्टल पर, लिए हुए अवकाश का आवेदन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करेंगे|
 - c. सम्बंधित शासकीय सेवक द्वारा नियमानुसार चिकित्सीय दस्तावेज (Fitness certificate) अपने उपस्थिति के पश्चात् कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - d. Fitness certificate की स्कैन्ड (scanned) कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी एवं मूल प्रमाण पत्र स्थापना शाखा में जमा करना होगा |